

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 432/2023

अनवान : -

1. भानीराम पुत्र भजनलाल जाति ब्राहमण निवासी देवासर तहसील नोहर।

-वादी

बनाम्

1. भजनलाल पुत्र रामनारायण जाति ब्राहमण निवासी देवासर तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश सेवदा पुत्र भजनलाल जाति ब्राहमण निवासी देवासर तहसील नोहर।
3. किरसन लाल पुत्र भजनलाल जाति ब्राहमण निवासी देवासर तहसील नोहर।
4. सुमित्रा शर्मा पुत्री भजनलाल जाति ब्राहमण निवासी देवासर तहसील नोहर।
5. सन्तोष पुत्री भजनलाल जाति ब्राहमण निवासी देवासर तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान

काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति : 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक: 15.06.2023

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा देवासर तहसील नोहर के खाता स0 175/76 की कुल 4.0890 हैक्ट एवं रोही मौजा देवासर तहसील नोहर के खाता स0 174/166 की कुल 11.8370 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा रामनारायण उर्फ निराणा के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद प्रतिवादी स0 1 के नाम उपरोक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी तथा प्रतिवादी सं0 2 ता 5 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है।

प्रतिवादीया स0 4 व 5 जो की वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 3 की बहिने है एवं प्रतिवादी स0 1 की पुत्रीया है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 बहिब काबिज है। वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।



24

वादी ने प्रतिवादी सं० 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं० 1 ता 5 ने उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की कि उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण सं० 2 ता 5 का प्रतिवादीया सं० 1 के साथ बहिब हक हिस्सा है। प्रतिवादीया सं० 4 व 5 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है। वादी के वाद को प्रतिवादी सं० 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल/राजीनामा पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा देवासर तहसील नोहर के खाता सं० 175/76 की कुल 4.0890 हैक्ट एवं रोही मौजा देवासर तहसील नोहर के खाता सं० 174/166 की कुल 11.8370 हैक्ट भूमि प्रतिवादी सं० 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं० 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। वादी के वाद को प्रतिवादी सं० 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने तथा एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार नोहर (हनुमानगढ़) पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा देवासर तहसील नोहर के खाता सं० 175/76 की कुल 4.0890 हैक्ट भूमि प्रतिवादी सं० 1

के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन कर वादी एवं प्रतिवादी स0 2 व 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा देवासर तहसील नोहर के खाता स0 174/166 ख0न0 371/5 की 1.8970 हैक्ट, ख0न0 395/4 की 2.3780 हैक्ट, ख0न0 395/7 की 1.7700 हैक्ट, ख0न0 77/1 की 3.0350 हैक्ट भूमि का वादी एवं प्रतिवादी स0 2 व 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा ख0न0 298/3 2.7570 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 15/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023 मे मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-बडबिराना

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 432/2023

अनवान : -

1. भानीराम पुत्र भजनलाल जाति ब्राहमण निवासी देवासर तहसील नोहर।

-वादी

बनाम्

1. भजनलाल पुत्र रामनारायण जाति ब्राहमण निवासी देवासर तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश सेवदा पुत्र भजनलाल जाति ब्राहमण निवासी देवासर तहसील नोहर।
3. किरसन लाल पुत्र भजनलाल जाति ब्राहमण निवासी देवासर तहसील नोहर।
4. सुमित्रा शर्मा पुत्री भजनलाल जाति ब्राहमण निवासी देवासर तहसील नोहर।
5. सन्तोष पुत्री भजनलाल जाति ब्राहमण निवासी देवासर तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गतधारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 432 सन 2023 निर्णय दिनांक 15.06.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान - 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि खाता स0 175/76 की कुल 4.0890 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन कर वादी एवं प्रतिवादी स0 2 व 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा देवासर तहसील नोहर के खाता स0 174/166 ख0न0 371/5 की 1.8970 हैक्ट, ख0न0 395/4 की 2.3780 हैक्ट, ख0न0 395/7 की 1.7700 हैक्ट, ख0न0 77/1 की 3.0350 हैक्ट भूमि का वादी एवं प्रतिवादी स0 2 व 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा ख0न0 298/3 2.7570 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट- बडबिराना